नेट परीक्षा अनिवार्य क्यों हो?

*नीरज प्रिया**

सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में योग्य शिक्षकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। शिक्षा के किसी विशेष स्तर पर शिक्षण करने के लिए अध्यापकों की योग्यता क्या होनी चाहिए, इस मुद्दे पर समय-समय पर चर्चा होती रही है, शोध किए जाते रहे हैं, और विभिन्न आयोगों/कमेटियों/नीतियों द्वारा संस्तुतियाँ दी जाती रही हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर कार्य करने वाले शिक्षकों की शैक्षिक और व्यवसायिक योग्यताएँ निर्धारित की जाती रही हैं जिनमें बदलाव आता रहता है। प्रस्तुत लेख में उच्च शिक्षा क्षेत्र के कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में कार्य करने वाले शिक्षकों के लिए नेट परीक्षा की अनिवार्यता की समीक्षा की गई है। लेखिका ने इस लेख में कॉलेज शिक्षकों के लिए नेट को अनिवार्य बनाने के मुद्दे और इससे जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की है।

पिछले दिनों (जून 2009 में) जब यू. जी. सी. ने विश्वविद्यालयों के लिए नियुक्त छठे वेतन पुनर्विचार समिति (प्रो. चढ्ढा समिति) व नेट परीक्षा पर पुनर्विचार करने के लिए नियुक्त भालाचंद्रन मुंगेकर समिति की रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में नियुक्ति के लिए सभी एम.फिल. और उन पी.एच.डी डिग्री धारकों के लिए जिन्होंने दाखिला/डिग्री लेते वक्त यू. जी. सी. द्वारा तय नियमों/मानकों का पालन नहीं किया था, नेट परीक्षा उत्तीर्ण करने को अनिवार्य कर दिया तो शिक्षक जगत में इसका विरोध देखने को मिला। यद्यपि कइयों ने इसका समर्थन भी किया।[3] इसके

[1]Researchers to protest rallyAgainst new UGC guidelines. Express News Service, July 8, 2009. www.expressindia.com/ latest-news
[2]After doctors, teachers on strike in State, July 14, 2009 http:///m.timesofindia.com
[3]Teachers observe total strikeAgainst UGC,MHRD direction, July 23, 2009 www.newskerala.com

विरोध का मुख्य कारण यह था कि यू. जी. सी. द्वारा नेट परीक्षा पर पुनर्विचार करने के लिए जनवरी 2006 में नियुक्त भालाचंद्रन मुंगेकर समिति ने जून 2006 में अपनी अंतरिम रिपोर्ट में विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में नियुक्ति के लिए नेट परीक्षा पास करने की अनिवार्यता से उन उम्मीदवारों को छूट दे दी थी जिन्होंने एम.फिल. या पी.एच.डी. की हुई थी। परंतु बाद में मुंगेकर समिति ने यह पाया कि नेट परीक्षा की अनिवार्यता हटा लेने के पश्चात् से विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में शिक्षकों की गुणवत्ता में गिरावट आयी है।[4] अत: मई 2009 में अपनी अंतिम रिपोर्ट में उसने फिर से नेट परीक्षा को अनिवार्य बनाने की स्तुति की। यू. जी. सी. ने छठे वेतन पुनर्विचार समिति व भालाचंद्रन मुंगेकर समिति की सिफारिशों को मानते हुए सभी एम.फिल. व पी.एच.डी. डिग्री धारकों के लिए (उनके लिए भी जो कहीं तदार्थ अथवा अतिथि आधार पर नियुक्त तथा उनके लिए भी जिन्होंने 2006 के बाद एम.फिल. व 2002 के बाद पी.एच.डी. की थी। फिर से इसे अनिवार्य बना दिया। केवल उन पी.एच.डी. धारकों को, जिन्होंने किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से यू. जी. सी. द्वारा तय नियमों/मानकों का पालन करते हुए पी.एच.डी. की थी, इस छूट का लाभ दिया गया तथा ऐसे पी.एच.डी. डिग्री धारकों की पहचान का कार्य विश्वविद्यालयों व कॉलेजों के ऊपर छोड़ दिया गया। अत: इसका सर्वव्यापक विरोध हुआ।

किसी भी क्षेत्र में नियुक्ति के लिए व्यक्ति को किसी न किसी परीक्षा में बैठना अनिवार्य होता है। परंतु 1988 तक विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कोई परीक्षा पास करना अथवा सेवापूर्व ट्रैनिंग लेना आवश्यक नहीं था। ऐसा व्यक्ति जो संबंधित विषय में कम-से-कम सैकेंड डिविजन के साथ स्नातकोत्तर होता था, उस विषय में शिक्षक पद के लिए आवेदन करने व नियुक्त होने के योग्य माना जाता था। 1982 में यू. जी. सी. ने न्यूनतम योग्यता को बढ़ाकर एम. फिल./पी. एच.डी. कर दिया।

कालांतर में यह देखने में आया कि कई बार कम योग्य व्यक्ति भी जुगाड़ करके प्रवक्ता के पद पर नियुक्त हो जाते थे। साथ ही एम. फिल. और पी.एच.डी. थीसिस की गुणवत्ता और विश्वसनीयता पर भी सवाल उठते रहे।[5] इस स्थिति से निपटने व विश्वविद्यालय/कॉलेज स्तर पर नियुक्त शिक्षकों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए 1983 में यू.जी.सी. ने प्रो. पी. सी. महरोत्रा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इस कमेटी ने पहली बार कॉलेज शिक्षक की गुणवत्ता के लिए कथित विषय में स्नातकोत्तर के अतिरिक्त 'नेट' (राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा) पास करने को अनिवार्य बनाए जाने की संतुति की। 1983 में ही वि.वि. कालेज शिक्षकों के लिए रईस अहमद की अध्यक्षता में गठित 'राष्ट्रीय शिक्षक आयोग' ने शिक्षकों के

[4]DUTA joins nationwide varsity strike today. July 22, 2009
www.morungexpress.com/frontpage
[5]Review of NET conducted by UGC & UGC- CSIR
www.ugc.ac.in

चुनाव/नियुक्ति में मेरिट आधार को महत्व दिए जाने की सिफारिश की।[6]

1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी विश्वविद्यालय /कॉलेज शिक्षकों की नियुक्त में मैरिट को महत्वपूर्ण माना गया। तदुपरांत 22 जुलाई 1988 को केंद्र सरकार ने एक गेजेट नोटिफिकेशन द्वारा विश्वविद्यालय/कालेज स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नेट परीक्षा आयोजित करने का उत्तरदायित्व यू.जी.सी. को सौंप दिया। 24 दिसंबर 1988 को पहली बार यू.जी.सी. ने मानवीकी समूह (Humanities group) के लिए नेट परिक्षा का आयोजन किया। विज्ञान समूह के लिए इस प्रकार की परीक्षा का आयोजन यू.जी.सी. व सी.एस.आई. आर. ने मिलकर किया। 19 सितंबर 1991 को यू. जी.सी. ने नोटिफिकेशन के द्वारा विश्वविद्यालय /कॉलेज शिक्षकों की नियुक्त में स्नातकोत्तर स्तर पर 55% प्रतिशत अंको के अलावा नेट परीक्षा को उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया।[7]

नेट परीक्षा केंद्रीय विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों के आधार पर आयोजित की गई थी।[8] अत: हर व्यक्ति के लिए इसे पास करना आसान नहीं था। इसका कारण यह था कि केंद्र व विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में एकरुपता नहीं थी। उनमें काफी अंतर था। जैसे– आज भी कहीं छात्र स्नातकोत्तर स्तर पर 16 पेपर पढ़ते हैं (दिल्ली वि.वि.) तो कहीं 8 या 9 (उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान आदि)। अत: ऐसे उम्मीदवार जो किसी भी कारण से (जैसे– परीक्षा का माध्यम अँग्रेज़ी होना) इस परीक्षा को पास नहीं कर पा रहे थे परंतु कॉलेजों में नियुक्ति के इच्छुक थे, नेट की अनिवार्यता को समाप्त करने तथा मातृभाशा में परीक्षा आयोजित करने के लिए दबाव डालने लगे। अत: यू.जी.सी. ने 1990 में यू- कैट (यू.जी.सी. कमेटी ऑन एकरीडीशन ऑफ टैस्ट) बनाई जिसने विभिन्न राज्यों को अपने-अपने राज्यों में सेट (SET) या स्लैट (SLET) परीक्षा (एक तय सीमा के लिए) आयोजित करने की इजाज़त दे दी तथा जिस पर यू.जी.सी. नज़र रखने वाली थी। परिणामस्वरुप कुछ राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों ने (महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडू, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मु एवं कश्मीर, राजस्थान, प. बंगाल, सभी उत्तर पूर्व राज्य और सिक्किम, कर्नाटक) नेट के विकल्प के रुप में यू.जी.सी. की तर्ज पर अपने राज्यों में सेट (State Eligibility Test) SLET (State Level Eligibility Test) परीक्षाओं का आयोजन करना शुरु कर दिया जिनका माध्यम अँग्रेज़ी व देशी भाषाएँ थीं।[9]

राज्य स्तर पर आयोजित इन परीक्षाओं का स्तर नेट से कम था। अत: ऐसा देखा गया कि जो व्यक्ति नेट परीक्षा पास नहीं कर पा रहा था, वह भी आसानी से सेट परीक्षा पास कर लेता था। इसके अतिरिक्त इन परीक्षाओं के आयोजनों में तरह-तरह की धाँधली के आरोप भी लगने लगे

[6]ibid;
[7]ibid
[8]Concept of NET/ SLET
www.ugc.ac.in
[9]ibid

(आमदे, 2008, अहमद, 2008)। अत: यू.जी.सी. द्वारा 1.11.2001 को यह घोषणा की गई कि जून 2002 व उसके बाद आयोजित सेट या स्लैट परीक्षा में पास व्यक्ति केवल उसी राज्य के विश्वविद्यालय/कॉलेज में नियुक्ति के लिए योग्य होगा, जिस राज्य की स्लैट परीक्षा उसने पास की होगी जबकि नेट परीक्षा पास व्यक्ति देश के किसी भी विश्वविद्यालय में नियुक्ति के योग्य माना जाएगा।[10]

इस बीच नेट को हटाने के दबाव लगातार यू.जी.सी. और मानव संसाधन विकास मंत्रालय पर पड़ते रहे। इसके लिए यह तर्क दिया गया कि नेट परीक्षा की अनिवार्यता के कारण एम. फिल. व पी.एच.डी. किए हुए बहुत से योग्य उम्मीदवार नौकरी पाने से वंचित रह गए थे साथ ही नियुक्ति के लिए उपयुक्त सँख्या में नेट उत्तीर्ण उम्मीदवार भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे।[11] इसी के चलते 1993 में उन उम्मीदवारों को जो 31 दिसंबर 1993 तक अपनी एम. फिल. या पी.एच.डी. थीसीस जमा करा देंगें, नेट की अनिवार्यता से छूट दे दी गई। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि हजारों की सँख्या में छात्र–छात्राओं ने तय सीमा के अंदर अपनी थीसीस जमा करवा दी जिससे उनकी गुणवत्ता पर तरह–तरह के सवाल उठाए जाने लगें।

नेट की अनिवार्यता को समाप्त करने को लेकर बढ़ते दबावों के बीच 1999 में एक बार फिर 1993 के बाद के सभी पी.एच.डी. धारकों के लिए नेट की अनिवार्यता को हटा लेने का निर्णय लिया गया। परंतु जल्दी ही इस निर्णय पर यह आरोप लगा कि ऐसा कुछ खास लोगों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से किया गया है।[12] अत: अप्रैल 2000 में इस छूट को वापिस ले लिया गया। परंतु जुलाई 2002 में फिर यह घोषणा की गई कि जो व्यक्ति 31 दिसम्बर 2002 तक अपनी पी.एच.डी. थीसीस जमा करा देंगें, को नेट की अनिवार्यता से छूट दे दी जाएगी। एम.फिल. वालों को यह छूट नहीं दी गई। परिणामस्वरुप एक बार फिर तय सीमा के भीतर पी.एच.डी. थीसीस जमा करवाने वालों का तांता लग गया तथा शिक्षा की गुणवत्ता ने इस घोषणा के नीचे दबकर दम तोड़ दिया।[13] ऐसा कुछ विशेष राज्यों में ज्यादा देखने को मिला (हिंदी– भाषी राज्य)।

इस सबके बावजूद नेट की अनिवार्यता को हटाए जाने के लिए पड़ रहे लगातार दबावों के चलते यू.जी.सी. ने नेट रिव्यू कमेटी की सिफारिश पर जून 2006 में सभी एम.फिल. या पी.एच.डी. धारकों के लिए क्रमश: स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर पर नियुक्ति में नेट की अनिवार्यता को अनिश्चित काल के लिए हटा लिया।[14] बाद में

[10] ibid

[11] UGC demotes 4,000 Bihar readers and professors (UGC guidelines were not followed), Hindustan Times, March 7, 1993

[12] Agnihotri, Peeyush- Decision irks NET- qualified, Ed. Tribune, Chandigarh, Jan.11, 1999.

[13] Sharda Prasad, H. Y. - The Indian Ph. D. noodles factory (UGC has become the victim of the pressures of politicians, teachers and non- teaching employees trade unions), July 21, 1999.

[14] Ramachandran, Smriti Kak- NETexam not to be scraped, Tribune News Service, Oct. 11, 2006 (Sources told the tribune that the UGC had been "compelled to reconsider the decision to make NET optional').

सन् 2008 में यू.जी.सी की नेट रिव्यू कमेटी ने इस छूट को एम.फिल. वालों के लिए जून 2009 तक तथा पी.एच.डी़. वालों के लिए 2011 तक जारी रखने की बात कही। इन सबका परिणाम यह हुआ कि अब हर छात्र स्नातकोत्तर करते ही अपने आपको एम.फिल. /पी.एच.डी. में रजिस्टर करवाने लगा तथा खुला विश्वविद्यालय भी दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से हजारों की सँख्या में छात्रों को एम.फिल. व पी. एच.डी़. करवाने लगे जिससे इनकी गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।[15] अत: यू.जी.सी. ने नेट रिव्यू कमेटी की अंतिम रिर्पोट की सिफारिश को स्वीकार करते हुए नेट परीक्षा को फिर से अनिवार्य कर दिया। साथ ही यू.जी.सी. ने अगस्त 2009 में दूरस्थ माध्यम से खुला विश्वविद्यालय द्वारा (इग्नू भी) एम.फिल. व पी.एच.डी. करवाने पर भी रोक लगा दी।[16]

यह देखने में आया कि जब-जब नेट की अनिवार्यता खत्म की गई उच्च शिक्षा में शिक्षकों की गुणवत्ता नकारात्मक रुप से प्रभावित हुई। कुछ समय पहले एक जाने-माने विश्वविद्यालय के संबंध में यह खबर पढ़ने को मिली थी कि वहॉ एम.फिल. व पी.एच.डी. थीसीस की खरीद-फरोख्त खुले आम हो रही है। यही नहीं छात्र-यूनियनें तक शिक्षकों व वाइस-चांसलर की नियुक्ति में दखल दे रही हैं। कहना न होगा कि यदि शिक्षकों की नियुक्ति में नेट की अनिवार्यता बनी रहती तो इस परिस्थिति पर काफी हद तक अंकुश लगा रहता।

यहाँ पर यह बात भी गौर करने लायक है कि ऐसा सिर्फ बड़े विश्वविद्यालयों में नहीं हो रहा और न ही पहली बार हो रहा था।[17] कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं (विषेशकर छोटे व पिछड़े राज्यों के) जो घर बैठे 18 से 22 महीने में ही पी.एच.डी. करवा रहे हैं। दिल्ली जैसे शहर में भी कुछ लोग पैसा लेकर दूसरों के लिए थीसीस लिखने का काम कर रहे हैं। यह भी देखने में आया है कि एक ही विषय पर कई छात्र थीसीस लिख रहे हैं। अब ऐसे व्यक्ति, जो पैसे देकर थीसीस लिखवा रहे हैं अथवा घर बेठै डिग्री खरीद रहे हैं, जब पैसे या सिफारिश के बल पर विश्वविद्यालय में नियुक्ति पा लेंगें तो उच्च शिक्षा और अपने छात्रों के साथ कितना न्याय कर पाएँगे कहने की जरूरत नहीं।

यद्यपि नेट उत्तीर्ण कर लेना न तो योग्यता की सौ प्रतिशत गारंटी है और न ही नेट पास व्यक्ति को अनिवार्य रुप से नियुक्ति मिल ही जाएगी/मिल जाती है, इसकी कोई गारंटी है क्योंकि देखनें में आया है कि कभी-कभी कम योग्य व्यक्ति भी नेट परीक्षा पास कर लेते हैं यद्यपि ऐसा कम ही होता है। साथ ही यह भी देखा गया है कि संबंधित विभाग द्वारा कोई पद तब तक

[15]Kulkarni, Kaustub- No M. Phil., Ph. D. at Open University, Aug. 10, 2009. www.business-standard.com/india

[16]ibid

[17]Gupta, Dr. Y. P. - Alarming erosion of academic norms, Indian Express, Oct. 6, 1990
- Professor sacked for copying theses, Hindustan Times, Dec. 23, 1991
Sudaram, P. S. - Ph. D. at what cost?, The Hindu, Dec. 24, 1991.

नहीं भरा जाता जब तक कि उनका अपना उम्मीदवार तय योग्यता प्राप्त नहीं कर लेता।[18] चूँकि नेट पास व्यक्ति को सीनियोरिटी के आधार पर अर्थात् किस वर्ष में व कितने प्रयास के पश्चात नेट परीक्षा पास की है, कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती। अत: कभी-कभी एक दिन पहले घोषित नेट के परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण व्यक्ति को तत्काल नियुक्त कर लिया जाता है जबकि पाँच, सात या उससे अधिक वर्ष पहले नेट परीक्षा पास कर चुका उसका सीनियर मुँह ताकता रह जाता है। इसके बावजूद उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति में नेट की अनिवार्यता को नकारा नहीं जा सकता।

उपरोक्त परिस्थिति से बचने के लिए कुछ अन्य तरीके अपनाए जा सकते हैं। जैसे– साक्षात्कार में उस विश्वविद्यालय को, जहाँ से डिग्री ली है, गोल्ड मैडलिस्ट को, किस वर्ष में तथा कितने प्रयास के बाद परीक्षा पास की है, नेट के साथ जे.आर.एफ. भी पास करने वाले को, तथा गुणात्मक स्तर के प्रकाशनों को अतिरिक्त अंक अथवा महत्व देकर योग्य व्यक्ति का चयन किया जा सकता है। एक अन्य विकल्प यू.पी.एस.सी. द्वारा सिविल सर्विसेज़ की तर्ज पर इनके लिए कोई परीक्षा आयोजित करना की जा सकती है। यू.जी.सी. को भी बार-बार नेट परीक्षा के संबंध में अपने निर्णयों को बदलते नहीं रहना चाहिए। इससे योग्य व्यक्ति का हित होगा और शिक्षा की गुणवत्ता भी बनी रहेगी।

संदर्भ

आमदे, धीरज बी. 2008. *नेट/सेट एक्जंपशन : इवैल्यूऐशन एंड फाइंडिंग्स.* यूनिवर्सिटी न्यूज. 46(23), प्र.-1-5.

अहमद, शकील 2008. *यूजीसी-नेट : ए मेज़र टू मैनटेन क्वालिटी इन टीचिंग एंड रिसर्च,* यूनिवर्सिटी न्यूज, 46(20), प्र.-1-5.

[18] Protest against delay in appointment, TNN, Sep 1o, 2001
http:///timesofindia.indiatimes.com/articleshow
Rajiv Gandhi Varsity of Law: Staff continues to be 'temporary' since 2006, Sep.16, 2009
www.4jat.com/jat_community_article